सं0सं0–02 / सा0सु0वृ0आ0स्थल–01 / 2026 /

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

–:: संकल्प ::–

विषयः– **नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति यूनिट अनावर्ती मद में रू0 42.97 लाख (बयालीस लाख संतानवे हजार) प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आवर्ती मद में रू0 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति।**

राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन–यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से ही राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में 100 बेड (50–50 की दो युनिट) तथा शेष सभी अनुमण्डलों में 50 बेड (एक युनिट) अर्थात कुल 139 **X** 50 = 6,950 आवासन क्षमता वाले 139 युनिट आश्रय स्थल का संचालन प्रति युनिट (50 बेड) अनावर्ती मद में रू0 42.97 लाख (बयालिस लाख सन्तानवे हजार) (प्रत्येक 05 वर्ष के लिए) तथा आवर्ती मद में रू0 63.38 लाख (तिरेसठ लाख अड़तीस हजार) (वार्षिक दर से) व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद से प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना नगर विकास एवं आवास विभाग से संचालित करने की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

2. वृद्धजनों के सुरक्षित आवासन हेतु वर्ष 2013–14 से ही वृद्धाश्रम सहारा योजना का सफल संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के सफल तथा बेहतर क्रियान्वयन हेतु इस योजना को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किया जाना समीचीन है।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों प्रति यूनिट अनावर्ती मद में रू0 42.97 लाख (बयालीस लाख संतानवे हजार) (प्रत्येक 5 वर्ष के लिए) तथा आवर्ती मद में रू0 63.38 लाख (तिरसठ लाख अड़तीस हजार) (वार्षिक) के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने तथा विभाग अन्तर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने पर सभी वृद्धाश्रमों में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का स्वीकृत दर ही प्रभावी होगी तथा 100 बेड वाले वृद्धाश्रम को 50 बेड को दो यूनिट मानते हुए दोगुनी राशि अनुमान्य होगी। दोनों योजनाओं को समाहित किये जाने पर योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किये जाने हेतु पूर्व से प्रावधानित मानव बल की संख्या में आंशिक परिवर्तन किया गया है। (परिशिष्ट–क)

5. मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का संचालन गैर सरकारी स्वंयसेवी संस्था/न्यास/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गैर लाभकारी कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। संस्था को संचालन हेतु लाभुकों की संख्या के अनुरूप आवश्यकतानुसार मदवार अथवा समेकित रूप से राशि दी जा सकेगी। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

6. योजना के संचालन हेतु राशि का व्यय विपत्र कोड–51–2235021040111 के संगत विषय शीर्ष से किया जा सकेगा अथवा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के माध्यम से नये विपत्र कोड खोलवाकर किया जा सकेगा।

7. प्रस्ताव पर संचिका सं0– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026** के टिप्पणी पृ0 सं0–32/टि0 पर दिनांक– 15.07.2026 को मद संख्या–14 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026** पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026** पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026** पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026** पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– **सं0सं0–02/सा0सु0वृ0आ0स्थल–01/2026**-163/ पटना, दिनांक– 20.07.026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/07/26
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।